



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092026-276148
CG-DL-E-12092026-276148

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4791]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4791]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4981(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तराखण्ड राज्य के बागेश्वर जिले में NH309A के कि.मी. 80 से कि.मी.206 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बागेश्वर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में NH309A के कि.मी. 80 से कि.मी.206 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तराखंड			जिले का नाम: बागेश्वर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बागेश्वर					
गांव का नाम: बुड घूना					
1	2840M	निजी	कृषि ()	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
2	2841M	निजी	कृषि ()	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
गांव का नाम: मनकोट					
3	2282M	निजी	(संक्रमणीय पट्टेदार)	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
4	2285M	सरकारी	(आँगन)	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
5	2286M	निजी	कृषि ()	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
6	7469M	निजी	कृषि ()	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
7	7817M	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
गांव का नाम: सिमखेत					
8	5M	सरकारी	गोचर	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
गांव का नाम: मुस्योली					
9	662M	सरकारी	बंजर नाकाबिल आबाद	0.066 (हेक्टेयर)	0.066
10	830M	सरकारी	सड़क	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
गांव का नाम: जैलगौंव					
11	1911	सरकारी	सड़क	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
12	1912M	सरकारी	बंजर काबिल आबाद	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
13	1913	सरकारी	सड़क	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
गांव का नाम: सिरौली					
14	1M	सरकारी	बंजर काबिल आबाद	0.031 (हेक्टेयर)	0.031

15	2M	सरकारी	गोचर	0.037 (हेक्टेयर)	0.037
16	43M	सरकारी	गोचर	0.081 (हेक्टेयर)	0.081
17	456M	सरकारी	गोचर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
18	458M	सरकारी	गोचर	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
19	465M	सरकारी	बन पंचायत	0.051 (हेक्टेयर)	0.051
20	610M	सरकारी	वान पंचायत	0.061 (हेक्टेयर)	0.061
21	611M	सरकारी	बंजर नाकाबिल आबाद	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
22	612M	सरकारी	सडक	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
23	613	सरकारी	सडक	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
24	615M	सरकारी	बंजर नाकाबिल आबाद	0.068 (हेक्टेयर)	0.068
25	617M	सरकारी	बन पंचायत	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
26	620M	सरकारी	रास्ता	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
27	621	सरकारी	आगत	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
28	622	सरकारी	दुकान	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
29	625M	सरकारी	बंजर नाकाबिल आबाद	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
30	626M	सरकारी	बंजर नाकाबिल आबाद	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
31	627M	सरकारी	बंजर नाकाबिल आबाद	0.062 (हेक्टेयर)	0.062
32	630M	सरकारी	रास्ता	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
33	634M	सरकारी	रास्ता	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
Total					0.786

[फा. सं. RO/UK/PKG-NH/IAHE/54/LA/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4981(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH309A in the stretch of land from Km. 80 to Km. 206 (Bageshwar) in the district of BAGESHWAR in the state of UTTARAKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SLAO, Bageshwar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH309A in the stretch of land from Km. 80 to Km. 206 (Bageshwar) in the district of BAGESHWAR in the state of UTTARAKHAND

State: UTTARAKHAND			District: BAGESHWAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bageshwar					
Village: Bud Ghuna					
1	2840M	Private	Agriculture ()	0.002 (Hectare)	0.002
2	2841M	Private	Agriculture ()	0.001 (Hectare)	0.001
Village: Mankot					
3	2282M	Private	(SANKRANMANIYA SCHEME)	0.002 (Hectare)	0.002
4	2285M	Government	(AANGAN)	0.018 (Hectare)	0.018
5	2286M	Private	Agriculture ()	0.008 (Hectare)	0.008
6	7469M	Private	Agriculture ()	0.005 (Hectare)	0.005
7	7817M	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
Village: Simkhet					
8	5M	Government	Gocher	0.048 (Hectare)	0.048
Village: Musoyli					
9	662M	Government	Barren Unpopulated	0.066 (Hectare)	0.066
10	830M	Government	Road	0.012 (Hectare)	0.012
Village: Jailgaon					
11	1911	Government	Road	0.015 (Hectare)	0.015
12	1912M	Government	Barren Habitable	0.036 (Hectare)	0.036
13	1913	Government	Road	0.013 (Hectare)	0.013
Village: Sirouli					
14	1M	Government	Barren Habitable	0.031 (Hectare)	0.031
15	2M	Government	Gochar	0.037 (Hectare)	0.037

16	43M	Government	Gochar	0.081 (Hectare)	0.081
17	456M	Government	Gocher	0.01 (Hectare)	0.01
18	458M	Government	Gocher	0.006 (Hectare)	0.006
19	465M	Government	Van Panchayat	0.051 (Hectare)	0.051
20	610M	Government	Van Panchayat	0.061 (Hectare)	0.061
21	611M	Government	Barren Unpopulated	0.045 (Hectare)	0.045
22	612M	Government	Road	0.007 (Hectare)	0.007
23	613	Government	Road	0.028 (Hectare)	0.028
24	615M	Government	Barren Unpopulated	0.068 (Hectare)	0.068
25	617M	Government	Van Panchayat	0.009 (Hectare)	0.009
26	620M	Government	Footpath	0.007 (Hectare)	0.007
27	621	Government	Aagan	0.01 (Hectare)	0.01
28	622	Government	Shop	0.003 (Hectare)	0.003
29	625M	Government	Barren Unpopulated	0.023 (Hectare)	0.023
30	626M	Government	Barren Unpopulated	0.01 (Hectare)	0.01
31	627M	Government	Barren Unpopulated	0.062 (Hectare)	0.062
32	630M	Government	Footpath	0.001 (Hectare)	0.001
33	634M	Government	Footpath	0.009 (Hectare)	0.009
Total					0.786

[F. No. RO/UK/PKG-NH/IAHE/54/LA/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director